

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला सवाई माधोपुर (राज0)

कमांक-592-611

दिनांक-27/1/2026

:- नीलामी विज्ञप्ति :-

वाणिज्यकर विभाग में पंजिकृत जीएसटी फर्म/बोलीदाता को सूचित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक, कार्यालय जिला सवाई माधोपुर के विभागीय वाहन जिनका कुल पुस्तक मूल्य 87,63,598.94 रुपये है, की सार्वजनिक नीलामी जहां है-जैसे है कि स्थिति के आधार पर दिनांक 19.02.2026 को प्रातः 11:00 बजे रिजर्व पुलिस लाईन सवाई माधोपुर परिसर में कमेटी सदस्यों की उपस्थिति में की जावेगी। इच्छुक बोलीदाता (केवल जीएसटी रजिस्टर्ड ही) उक्त दिनांक को निर्धारित समय पर उपस्थित होकर निम्न नाकारा वाहनों हेतु वर्णित शर्तानुसार नीलामी में भाग ले सकते हैं।

क्र. स.	वाहन संख्या	मैक	मॉडल	बुक वेल्यू	अमानत राशि	सार्वजनिक नीलामी का स्थान, तिथि एवं अमानत राशि जमा करने का निर्धारित समय
1.	RJ 25 GA 2652	कैम्पर	2015	531413.90	11,000	रिजर्व पुलिस लाईन, सवाई माधोपुर। दिनांक 19.02.2026 को प्रातः 11:00 बजे।
2.	RJ 14 UC 4993	जिप्सी	2012	484489.62	10,000	
3.	RJ 14 UC 4994	जिप्सी	2012	484489.62	10,000	
4.	RJ 25 UA 0862	टवेरा	2012	654000.00	13,500	
5.	RJ 25 UA 2195	वोलेरो	2015	558780.00	11,500	
6.	RJ 25 UA 2694	वोलेरो	2017	578602.99	12,000	
7.	RJ 25 UA 2221	वोलेरो	2016	558780.00	11,500	
8.	RJ 25 UA 2404	वोलेरो	2016	573619.88	12,000	
9.	RJ 25 UA 2347	वोलेरो	2016	573619.88	12,000	
10.	RJ 25 UA 2695	जीप	2017	536933.53	11,500	
11.	RJ 25 UA 2292	जीप	2016	536933.53	11,500	
12.	RJ 25 UA 1896	जीप	2015	443361.93	10,000	
13.	RJ 25 UA 1392	जीप	2013	484572.39	10,000	
14.	RJ 25 UA 1164	जीप	2012	493391.17	10,000	
15.	RJ 25 UA 1149	जीप	2013	493391.17	10,000	
16.	RJ 25 UA 0874	जीप	2012	484492.93	10,000	
17.	RJ 25 SH 9626	मोटरसाईकल	2014	55184.98	1200	
18.	RJ 25 SL 0831	मोटरसाईकल	2015	39537.35	1000	
19.	RJ 25 SL 4174	मोटरसाईकल	2015	39537.35	1000	
20.	RJ 25 SG 5662	मोटरसाईकल	2013	46023.38	1000	
21.	RJ 25 SG 5660	मोटरसाईकल	2013	46023.38	1000	
22.	RJ25 MM 3224	मोटरसाईकल	2016	43431.18	1000	
23.	RJ25 MM 1047	मोटरसाईकल	2009	37611.57	1000	

शर्त :-

- नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी से पूर्व उपरोक्तानुसार कमेटी द्वारा निर्धारित धरोहर राशि नगद/जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट देय जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर के नाम जमा करानी होगी। जो निर्धारित समय तक जमा की जावेगी। निर्धारित समय के पश्चात् किसी भी सूरत में बोलीदाता से धरोहर राशि जमा नहीं की जावेगी। असफल बोलीदाता को धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने पर वापिस लौटा दी जावेगी।

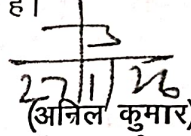
Nakara Vahan

02. केवल जीएसटी पंजीकृत बोलीदाता/फर्म को ही नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी जिसके लिए इच्छुक बोलीदाता को बोली से पूर्व जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड की प्रतिलिपि निर्धारित धरोहर राशि के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
03. इस नीलामी विज्ञप्ति में नाकारा वाहनों की उक्त वर्णित सूचना एम.टी.शाखा पुलिस लाइन से प्राप्त कर दर्ज की गई है। तदनुसार इस विज्ञप्ति से नाकारा वाहनों संबंधी सूचना के प्रकाशन/लेखन में सावधानी बरती गई है फिर भी उक्त नाकारा वाहनों का अवलोकन बोलीदाता स्वयं बोली पूर्व अथवा मौकें पर आवश्यक रूप से कर लेवे।
04. जिस बोलीदाता की अधिकतम/उच्चतम होगी वह बोली स्वीकार की जावेगी सफल/उच्चतम बोलीदाता को अंतिम सफल बोली (अधिकतम नीलामी राशि) की 1/4(25) राशि तुरन्त नीलामी दिवस को ही जमा करानी पड़ेगी(धरोहर राशि का समायोजन किया जा सकेगा) एवं शेष 3/4(75) राशि मय जीएसटी बैंक ड्राफ्ट/चालान के द्वारा नीलामी दिनांक से 10 दिवस के अन्दर जमा करवाकर सामान (नाकारा वाहन) को उठाना होगा। बैंक ड्राफ्ट जिला पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर के नाम वनवाया जावेगा।
05. नीलामी कमेटी को बिना कारण बताये नीलामी स्थगित करने का पूर्ण अधिकार होगा। तथा किसी भी बोली को बिना कारण बताए स्वीकार अथवा करने अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार नीलामी कमेटी अध्यक्ष/कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।
06. नीलामी में उचित मूल्य प्राप्त नहीं होने कि स्थिति में नीलामी रोकने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नीलामी कमेटी के अध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा।
07. समस्त प्रकार के कर (नियमानुसार देय) GST/CGST/SGST इत्यादि का भार बोली राशि के अतिरिक्त सफल बोलीदाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। सफल बोलीदाता को नियमानुसार प्रवत समस्त प्रकार के राजकीय कर फीस, जीएसटी एवं वैट आदि बोली राशि के अतिरिक्त जमा कराने होंगे।
08. नीलामी पश्चात् सफल बोलीदाता को सरकार द्वारा निर्धारित जीएसटी इत्यादि कर निर्धारित दर से नियमानुसार जमा करवाकर चालान/रसीद प्रस्तुत करने पर ही वाहन ले जाने की अनुमति दी जावेगी।
09. उक्त नाकारा वाहनों का निरीक्षण/अवलोकन किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में पुलिस लाइन सवाई माधोपुर में आकर किया जा सकता है।
10. नीलामी समाप्त होने के बाद सम्पूर्ण बोली राशि मय जीएसटी राशि नियत अवधि में जमा होने पर सामान (नाकारा वाहन) को नीलामी स्थान से अपने स्वयं के खर्चे पर ले जाना होगा, जिसके लिए इस विभाग द्वारा कोई परिवहन उपलब्ध नहीं कराया जावेगा।
11. नीलामी कार्यवाही पूर्ण हो जाने के तत्काल बाद सामान की कमी, चोरी अथवा किसी भी क्षति के लिए संबंधित पार्टी/बोलीदाता/फर्म स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
12. नीलामी की अंतिम रूप से पुष्टि होने के उपरान्त सफल बोलीदाता शेष 75 प्रतिशत राशी 10 दिवस के भीतर जमा नहीं करवाई जाती है तो धरोहर राशि व 25 प्रतिशत राशि जप्त राज कर ली जावेगी।
13. नीलामी बोली चौपहिया वाहन हेतु 1000 रुपये गुणक में बोली लगानी होगी/लगाई जावेगी।
14. नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता स्वयं पहचान दस्तावेज एवं स्थायी निवास स्थान की सत्यापित कॉपी जमा करवानी होगी।
15. नाकारा वाहन जहां है, जैसी स्थिति में है नीलाम किये जायेंगे। अतः बोली लगाने वाले से यह अपेक्षा की जाती है कि बोली दिनांक से पूर्व नाकारा वाहनों का पूरा परीक्षण स्वयं कर लें तथा नाकारा वाहनों के विवरण के बारे में अपने आप को संतुष्ट करने के बाद ही बोली प्रक्रिया में भाग लेवें/बोली लगायें।
16. नीलामी से संबंधित कोई भी कार्मिक नीलामी बोली में भाग नहीं ले सकेगा।
17. किसी भी कारणवश राजकीय अवकाश घोषित होने/किसी भी नीलामी सदस्य की अनुपस्थिति की स्थिति में नीलामी आगामी दिवस पर होगी।
18. प्रत्येक बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व नीलामी कमेटी द्वारा रखी गई शर्तें मान्य होंगी। बोली लगाने वाले का किसी भी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा किसी भी तरह का विवाद होने पर नीलामी समिति का निर्णय ही अंतिम होगा।
19. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार सवाई माधोपुर होगा।
20. शेष समस्त शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार लागू होंगी।
21. नाकारा वाहन की बोली को अंतिम रूप से स्वीकार करने का अधिकार नीलामी समिति को है। नीलामी समिति अध्यक्ष से उच्चतम बोली की स्वीकृति आने पर ही बोली को अंतिम माना जायेगा। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा नाकारा वाहन की उच्चतम बोली की पुष्टि नहीं की जाती है तो वह बोली निरस्त समझी

Nakara Vahan

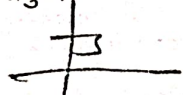
जावेगी। तथा उच्चतम बोलीदाता को अमानत/धरोहर राशि लौटा दी जावेगी। तथा इस राशि पर कोई व्याज देय नहीं होगा।

22. नीलामी प्रक्रिया से संबंधित समस्त विवरण, नीलामी की शर्तें नाकारा वाहनों की सूची, प्रकार, संख्या व अन्य संबंधित विवरण इत्यादि की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय सवाई माधोपुर के नोटिस बोर्ड/विविध शाखा/एम.टी.शाखा पुलिस लाईन माधोपुर जहां वाहन खड़े हैं से कार्यालय समय में कभी भी प्राप्त की जा सकती है। उक्त विज्ञप्ति का अवलोकन पुलिस विभाग राजस्थान जयपुर की विभागीय वेबसाइट <https://www.police.rajasthan.gov.in> पर भी किया जा सकता है।


(अनिल कुमार)
पुलिस अधीक्षक
जिला सवाई माधोपुर

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. महानिरीक्षक पुलिस, भरतपुर रेंज, भरतपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर।
3. नियंत्रक एवं पदेन संयुक्त सचिव, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर।
5. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
6. समस्त पुलिस अधीक्षकगण, राज0 मय जीआरपी अजमेर व जयपुर।
7. जन-सम्पर्क अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राज0 जयपुर को 10 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि उक्त सूचना दिनांक 19.02.2026 से पूर्व एक राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का श्रम करावें।
9. जिला जन-सम्पर्क अधिकारी, स0मा0 को विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु।
10. जिला परिवहन अधिकारी, जिला सवाई माधोपुर को कार्या0 जिला कलेक्टर स0मा0 के आदेश क्रमांक 01 दिनांक 01.01.2026 के क्रम में नीलामी में भाग लेने हेतु।
11. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर को कार्या0 जिला कलेक्टर स0मा0 के आदेश क्रमांक 01 दिनांक 01.01.2026 के क्रम में नीलामी में भाग लेने हेतु।
12. कोषाधिकारी, सवाई माधोपुर को कार्या0 जिला कलेक्टर स0मा0 के आदेश क्रमांक 01 दिनांक 01.01.2026 के क्रम में नीलामी में भाग लेने हेतु।
13. वरिष्ठ प्रवक्ता, (अभियांत्रिक) राजकीय पॉलीटेक्निक सवाई माधोपुर को कार्या0 जिला कलेक्टर स0मा0 के आदेश क्रमांक 01 दिनांक 01.01.2026 के क्रम में नीलामी में भाग लेने हेतु।
14. संचित निरीक्षक/प्रभारी एम.टी.शाखा पुलिस लाईन सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं परिवहन अधिकारी से वाहनों की न्यूनतम कीमत आंकलन करवाकर कमेटी को उपलब्ध करावें। एवं नीलामी की कार्यवाही करवाई जाकर इस कार्यालय को अवगत करावे।
15. प्रभारी लेखाशाखा रेंज कार्यालय भरतपुर को मनोनीत सदस्य को भिजवाने हेतु।
16. सहायक लेखाधिकारी/ कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा **SPPP PORTAL** पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
17. समस्त थानाधिकारी जिला सवाई माधोपुर को प्रचार-प्रसार हेतु।
18. केशियर, कार्यालय हाजा को निविदा फार्म की 10 प्रतियां व मूल निविदा की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
19. नोटिस बोर्ड- जिला कलेक्टर कार्यालय/पुलिस अधीक्षक कार्यालय सवाई माधोपुर।


पुलिस अधीक्षक
जिला सवाई माधोपुर